

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-248195

सं० : स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या-132/2017-18/

दिनांक : /04/2018

सेवा में,

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण,

बागेश्वर

विषय : जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, पिथौरागढ़ का वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग 2 (अ) में शून्य प्रस्तर, भाग- 2 (ब) में 02 प्रस्तर तथा STAN में 01 प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 2(ब) के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं० स्था०नि०/प्रतिवेदन संख्या 132/2017-18/

दिनांक: /04/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, पौड़ी, जनपद- पौड़ी, उत्तराखण्ड ।

2- मुख्य विकास अधिकारी, बागेश्वर, जनपद- बागेश्वर, उत्तराखण्ड ।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-132, वर्ष 2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-I

1. परिचयात्मक: इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री राज बहादुर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.02.2014 से 04.03.2014 तक श्री बजरंग सिंह चन्देल वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 4/2011 से 01/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।
2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-
 1. उपरोक्त यदि जिला पंचायत है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या: -
 2. उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्या:
 - (अ) भौगोलिक क्षेत्र:
 - (ब) जनसंख्या:
 3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या :
 4. पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या :
 5. उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या :
 6. कर्मचारियों की संख्या : 04
 7. पंचायतराज की संपत्तियाँ:-----
 8. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट :-----
 9. योजनाओं की संख्या : -----
 10. (अ) सामाजिक संरक्षा :-----
 - (ब) रोजगार सृजन से संबन्धित :-----
 - (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गई योजनायें :-----
 - (द) लाभार्थियों की संख्या :-----
 11. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :-----
 12. वर्ष के दौरान कुल व्यय
 - (अ) सामान्य :-----
 - (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाय) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये |
 13. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया

भाग 2(ii)अ -विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

(धनराशि रु. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर स्थापना	
							अधिक्य (+)	बचत (-)	अधिक्य (+)	बचत (-)
2014-15	0	211.08	0.00	0.00	466.14	579.30	0.00	0.00	0.00	97.92
2015-16	0	97.92	50.50	50.50	435.81	451.69	0.00	0.00	0.00	82.04
2016-17	0	82.04	53.42	53.42	504.11	526.10	0.00	0.00	0.00	60.05
2017-18	0	60.05	39.57	36.58	352.13	346.89	0.00	2.99	0.00	65.29

लेखों पर टिप्पणी:-

1. लेखों का रख-रखाव निर्धारित प्रपत्रों पर न बनाना।
2. बैंक समाधान विवरण तैयार न करना।
3. कटिंग का सत्यापन न करना।
4. वर्ष के अन्त में धनराशि का शेष रहना जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि धनराशि का आवंटन समयान्तर्गत नहीं किया जाता है।

प्रारूप-2 (11) ब

विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति (धनराशि लाख रू० में)

क्र० सं०	वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	5
1	प्रारम्भिक अवशेष	211.08	97.92	82.04	60.05
2	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	466.14	435.81	504.11	352.13
3	क-राज्यांश	36.92	11.92	7.58	18.71
4	ख-केन्द्रांश	429.22	423.89	496.53	333.42
5	ग-अन्य निजी आय	0	0	0	0
6	व्यय	579.30	451.69	526.1	346.89
7	अवशेष	97.92	82.04	60.05	65.29

प्रारूप-2 (11) स
विगत वर्षो केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(धनराशि लाख रू० में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2016-17	एस०जी०एस०वाई०	0	0	0	0	0.00
	एन०आर०एल०एम० (आरसेटी)	4.35	0.31	4.66	4.66	0.00
	इन्दिरा आवास योजना	0.00	96.75	96.75	96.75	0.00
	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00
	राज्य क्रेडिट कम सब्सिडी योजना	0.14	0.08	0.22	0.20	0.02
	डी०आर०डी०ए० प्रशा०मद	0.35	4.50	4.85	3.41	1.44
	उ०सी०पि०के०वि०नि०	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	7.50	7.50	7.5	0
	सांसद निधि	1.57	255.02	256.59	247.2	9.39
	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशा.म.	0.99	2.43	3.42	0.00	3.42
	सांसद निधि आपदा	72.81	120.72	193.53	147.75	45.78
		82.04	504.11	586.15	526.10	60.05

विगत वर्षों केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

द्वितीय

क्र० सं०	मद का नाम	वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16				वर्ष 2016-17				वर्ष 2017-18				दिसम्बर 17 में अवशेष
		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	
1	एस०जी०एस०वाई०	24.23	1.44	25.67	25.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	एन०आर०एल०एम०	0.03	32.90	32.93	29.27	3.66	13.07	16.73	12.38	4.35	0.31	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	इन्दिरा आवास योजना	54.47	86.78	141.25	126.78	14.47	57.59	72.06	72.06	0.00	96.75	96.75	96.75	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00
4	आई०ए०वाई०विशेष परि०	39.33	11.37	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	डी०आर०डी०ए० प्रशा०मद	40.71	35.57	76.28	52.05	24.23	1.44	25.67	25.32	0.35	4.50	4.85	3.41	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44
6	सांसद निधि	0.00	261.16	261.16	243.17	17.99	81.22	99.21	97.64	1.57	255.02	256.59	247.20	9.39	255.02	264.41	235.05	29.36
7	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.30	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	52.90	52.90	51.80	1.10
8	प्रधानमंत्री आवास योजना प्र०म०	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	2.43	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	1.50	1.92
9	सांसद निधि आपदा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.28	269.28	196.47	72.81	120.72	193.53	147.75	45.78	0.00	45.78	31.04	14.74
		158.77	429.22	587.99	527.29	60.35	423.89	484.24	404.17	80.07	496.53	576.60	516.57	60.03	333.42	393.45	344.89	48.56

डी०आर०डी०ए० कार्यालय का 2014-15 से 2017-18 (दिसम्बर 2017 तक) आय-व्यय का विवरण

मद का नाम	वर्ष 2014-15				वर्ष 2015-16				वर्ष 2016-17				वर्ष 2017-18				दिसम्बर 17 में अवशेष	
	2	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		22
		प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	प्रा० अवशेष	वर्ष में प्राप्त	योग	व्यय	
एस०जी०एस०वाई०		8.43	0.00	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
एन०आर०एल०एम०		0.03	32.90	32.93	29.27	3.66	13.07	16.73	12.38	4.35	0.31	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इन्दिरा आवास योजना		54.47	86.78	141.25	126.78	14.47	57.59	72.06	72.06	0.00	96.75	96.75	96.75	0.00	25.50	25.50	25.50	0.00
आई०ए०वाई०विशेष परि०		39.33	11.37	50.70	50.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य क्रेडिट कम सब्सिडी योजना		0.74	7.68	8.42	8.30	0.12	7.12	7.24	7.10	0.14	0.08	0.22	0.20	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
डी०आर०डी०ए० प्रशा०मद		40.71	35.57	76.28	52.05	24.23	1.44	25.67	25.32	0.35	4.50	4.85	3.41	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44
उ०सी०पि०के०वि०नि०		67.37	30.68	98.05	60.60	37.45	0.00	37.45	35.62	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इन्दिरा अम्मा भोजनालय		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00	7.50	7.50	7.50	0.00	18.71	18.71	2.00	16.71
सांसद निधि		0.00	261.16	261.16	243.17	17.99	81.22	99.21	97.64	1.57	255.02	256.59	247.20	9.39	255.02	264.41	235.05	29.36
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	1.29	0.30	0.00	16.80	16.80	16.80	0.00	52.90	52.90	51.80	1.10
प्रधानमंत्री आवास योजना प्र०म०		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	2.43	3.42	0.00	3.42	0.00	3.42	1.50	1.92
सांसद निधि आपदा		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.28	269.28	196.47	72.81	120.72	193.53	147.75	45.78	0.00	45.78	31.04	14.74
		211.08	466.14	677.22	579.30	97.92	435.81	533.73	451.69	82.04	504.11	586.15	526.10	60.05	352.13	412.18	346.89	65.29

प्रारूप-2 (11) स
विगत वर्षों केन्द्र एवं राज्य पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2017...18	एस0जी0एस0वाई0	0	0	0.00	0.00	0.00
	एन0आर0एल0एम0 (आरसेटी)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इन्दिरा आवास योजना	0.00	25.5	25.5	25.5	0.00
	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	0.00	52.90	52.90	51.80	1.10
	राज्य क्रेडिट कम सब्सिडी योजना	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
	डी0आर0डी0ए0 प्रशा0मद	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44
	उ0सी0पि0क्षे0वि0नि0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	18.71	18.71	2.00	16.71
	सांसद निधि	9.39	255.02	264.41	235.05	29.36
	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशा.म.	3.42	0	3.42	1.50	1.92
	सांसद निधि आपदा	45.78	0.00	45.78	31.04	14.74
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		60.05	352.13	412.18	346.89	65.29

प्रारूप-2 (11) स
 विगत वर्षों केन्द्र/पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(धनराशि लाख रू० में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2015-16	एस०जी०एस०वाई०	0	0	0	0	0
	एन०आर०एल०एम०	3.66	13.07	16.73	12.38	4.35
	इन्दिरा आवास योजना	14.47	57.59	72.06	72.06	0.00
	राज्य क्रेडिट कम सब्सिडी योजना	0.12	7.12	7.24	7.10	0.14
	डी०आर०डी०ए० प्रशा०मद	24.23	1.44	25.67	25.32	0.35
	उ०सी०पि०क्षे०वि०नि०	37.45	0.00	37.45	35.62	1.83
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	4.80	4.80	4.80	0.00
	सांसद निधि	17.99	81.22	99.21	97.64	1.57
	प्रधानमंत्री आवास योजना प्रशा.म.	0.00	1.29	1.29	0.30	0.99
	सांसद निधि आपदा	0.00	269.28	269.28	196.47	72.81
		97.92	435.81	533.73	451.69	82.04

विगत वर्षों/केन्द्र पोषित योजनाओं से प्राप्ति तथा व्यय

(घनराशि लाख रू० में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त बजट	कुल प्राप्त	व्यय	अवशेष
1	2	3	4	6	7	8
2014-15	एस०जी०एस०वाई०	8.43	0.00	8.43	8.43	0.00
	एन०आर०एल०एम०	0.03	32.90	32.93	29.27	3.66
	इन्दिरा आवास योजना	54.47	86.78	141.25	126.78	14.47
	आई०ए०वाई०विशेष परि०	39.33	11.37	50.70	50.70	0.00
	राज्य क्रेडिट कम सब्सिडी योजना	0.74	7.68	8.42	8.30	0.12
	डी०आर०डी०ए० प्रशा०मद	40.71	35.57	76.28	52.05	24.23
	उ०सी०पि०क्षे०वि०नि०	67.37	30.68	98.05	60.60	37.45
	इन्दिरा अम्मा भोजनालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	सांसद निधि	0.00	261.16	261.16	243.17	17.99
	सांसद निधि आपदा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211.08	466.14	677.22	579.30	97.92

भाग 2(ब)

प्रस्तर 1:- रु. 6.59 लाख की धनराशि राजकोष में जमा न करना।

उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 347/वि. आ. निदे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक जनवरी 2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि जैसे राज्य वित्त आयोग, केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि इत्यादि) लम्बे समय तक व्यय न होने के कारण बैंक जमा रहती है जिस पर बैंक से ब्याज भी अर्जित होता है। उस अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष में लेखा शीर्षक 0049 ब्याज प्राप्तियों में जमा किया जाना आवश्यक है।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा शासन से प्राप्त सांसद निधि मद के अन्तर्गत धनराशि पर वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक रु. 6.59 लाख की धनराशि ब्याज के रूप में बैंक से अर्जित की थी जिसकी राजकोष में जमा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि धनराशि राजकोष में शासनादेश अनुसार जमा की जाएगी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासन द्वारा स्पष्ट आदेश होने के उपरान्त भी नियमानुसार कार्यावाही नहीं की गई है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर 2:- रु. 68.60 लाख व्यय करने के उपरान्त भी लक्ष्यों की पूर्ति न होना।

वर्ष 2016-17 में इन्दिरा आवास योजना का नाम प्रधानमंत्री आवाय योजना ग्रामीण कर दिया गया है जिसके अन्तर्गत आवास हेतु लाभार्थी परिवारों का चयन सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना -2011 (SE CC-2011) को सर्व की चयनित सूची से किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत नए मकानों के निर्माण हेतु प्रति इकाई रु. 30,000/- केन्द्रीय एवं राज्याशं (90.10) के अनुपात में अनुमन्य है। उक्त धनराशि का भुगतान F.T.O के माध्यम से लाभार्थी के माध्यम से निम्न तीन किस्तों में किया जाएगा।

1. प्रथम किस्त रु. 60000 आवास स्वीकृत होने पर ।
2. द्वितीय किस्त रु. 40000 लेन्टल लेवल तक ।
3. तृतीय किस्त रु. 30000 आवास पूर्ण होने पर ।

लक्ष्यों का आवंटन किए जाने के समय तथा सम्भव 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा। 15 प्रतिशत अल्पसंख्यक, 3 प्रतिशत विकलांग व्यक्तियों हेतु निर्धारित है। योजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में ही किया जाए।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर में उक्त योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 में पंजीकृत 153 लाभार्थियों के सापेक्ष 70 लाभार्थियों का चयन आवास निर्माण हेतु किया गया था जिसके सापेक्ष शासन द्वारा (रु. 16.80 व रु. 52.90 लाख) कुल रु. 69.70 लाख की धनराशि अवमुक्त/आवंटित की गई थी। जाँच में पाया गया कि दिसम्बर 2017 में लेखापरीक्षा की तिथि तक केवल 18 आवास ही पूर्ण थे तथा 52 आवास अपूर्ण थे। विकास खण्ड बागेश्वर में स्वीकृत 42 आवासों के सापेक्ष केवल 9 आवास पूर्ण थे, विकास खण्ड गरूड़ में स्वीकृत 13 आवासों पर रु. 23.40 लाख का भुगतान किया गया था तथा 52 अपूर्ण आवासों पर रु. 45.20 लाख का भुगतान लाभार्थियों को किया गया था। जिसमें बागेश्वर विकास खण्ड में रु. 27.80 लाख कपकोट में रु. 8.80 लाख तथा गरूड़ में रु. 8.60 लाख का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया जाने पर इकाई ने उत्तर में बताया कि नेट सुविधा न होने के कारण विलम्ब हुआ है तथा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों को वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत आवासों को पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिए गए थे।

उत्तर संतोषजनक नहीं हैं क्योंकि आवासों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2016-17 के अन्त (मार्च 2017) तक किया जाना (शासन के निर्देशनुसार) अनिवार्य था तथा समायन्तर्गत आवास पूर्ण न होने के कारण सामग्री में मूल्य वृद्धि से योजना प्रभावित हो सकती है जिसको योजना का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है तथा लाभार्थियों को भी समय पर योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 01:- रू. 37.00 लाख के 256 निर्माण कार्यों को पूर्ण न किया जाना।

विभाग द्वारा सांसद निधि योजना के अन्तर्गत 03 वर्षों से रू. 37.00 लाख की पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के उपरांत भी 25 निर्माण कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया है।

सम्प्रेक्षा द्वारा पुछे जाने पर विभाग द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया जिससे यह स्पष्ट होता है कि विभाग उक्त निर्माण कार्यों के प्रति गंभीर नहीं है।

अतः विभाग की सुस्त निर्माण कार्य शैली का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(क) परिचयात्मक: कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर के माह 2014-15 से 2017-18 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री मनोहर सिंह, ले.प., श्री पी.एल. शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस.के.डंग, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 08/01/2018 से 19/01/2018 तक श्री अशोक कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
185/13-14	01	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्य	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
185/13-14	01			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये हैं, उनका वर्णन किया जाय)

-सामान्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:
 - (i) शून्य
 - (ii)
 - (iii)
2. सतत् अनियमितताएं:
 - (i) शून्य
 - (ii)
3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री हिंमाशु शर्मा	परियोजना निदेशक
(ii)	श्री एस.एस. पौंगी	परियोजना निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (संबंधित क्षेत्र का नाम) को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय